IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, May 2022
Impact Factor: 6.252

आतंकवाद की समस्या जम्मू कश्मीर के संदर्भ में

Lok Pati Yadav[1] and Dr. Saroj Agrawal[2]
Research Scholar, M. A. Political Science, U.G.C. Net[1]
Professor/Assistant Professor, Government Girls College, Morena, MP, India[2]

Abstract: प्रस्तुत शोध पत्र में विकास, स्थायित्व, सुशासन और कानून का शासन एक दूसरे से सहसंबद्ध हैं और अशांति को उत्पन्न कोई भी खतरा देश के सतत विकास के उद्देश्य में बाधा बनता है। आतंकवाद न केवल राजनीतिक और सामाजिक वातावरण को नष्ट करता है बल्कि देश के आर्थिक स्थायित्व को खतरा भी पहुँचाता है, प्रजातंत्र को दुर्बल बनाता है और यहाँ तक कि सामान्य नागरिकों को जीने के उनके अधिकार सहित बुनियादी अधिकारों से वंचित करता है। आतंकवादी किसी धर्म अथवा संप्रदाय या समुदाय के नहीं होते। आतंकवाद कुछ उग्र लोगों, जो अपने घृणित लक्ष्यों की प्राप्ति में निर्दोष नागरिकों की लक्षित हत्या का आश्रय लेते हैं, द्वारा प्रजातंत्र और सभ्य समाज पर हमला है। आज आतंकवाद ने आधुनिक संचार प्रणालियों, संगठित अपराध, मादक द्रव्य के अवैध व्यापार, जाली मुद्रा और वैश्विक स्तर पर इनके प्रयोग सहित विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थायित्व को खतरा पहुँचाते हुए नया तथा अधिक खतरनाक आयाम प्राप्त कर लिया है। इस शोध पत्र में इन्हीं आतंकवादी गतिविधियों को उल्लेख करने का प्रयास है।.

Keywords: आतकवाद,समस्या, जम्मू कश्मीर, संप्रदाय, समुदाय, संगठित, अपराध, मादक द्रव्य, अवैध व्यापार आदि।

प्रस्तावना

देश में आतंकवादी हिंसा की बढ़ती घटनाओं के दृष्टिगत भारत में उभरती हुई एक सर्वसम्मति है कि आतंकवाद से निपटने के लिये एक सुदृढ़ विधायी ढाँचा सृजित किया जाना चाहिये। यहाँ तक कि मानवाधिकारों और संवैधानिक मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए भी आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षा बलों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आज आतंकवाद सार्वजनिक व्यवस्था के मुद्दों से बढ़कर हो गया है क्योंकि यह संगठित अपराध, गैर–कानूनी वित्तीय अंतरणों और शस्त्र तथा मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार के जैसे कृत्यों के साथ समायोजित हो गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा हैं। भारत जैसा बहु–सांस्कृतिक, उदार और प्रजातांत्रिक देश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण आतंकवादी कृत्यों के प्रति अत्यंत सुभेद्य है।

आतंकवाद समकालीन युग की सर्वाधिक ज्वलन्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इसकी पीड़ा से न गुजरा हो। भूमण्डलीकरण के दायरे के साथ ही आतंकवाद का भी दायरा बढ़ता गया और आज यह सुरसा की मुंह की तरह विभिन्न रूपों में फैल रहा है। इसमें लिंग आधारित आतंकवाद, दलित चेतनावादी आतंकवाद, क्षेत्रीय पृथकतावादी आतंकवाद, साम्प्रदायिक आतंकवाद, जातीय आतंकवाद, जेहादी आतंकवाद विस्तारवादी आतंकवाद से लेकर प्रायोजित आतंकवाद तक शामिल है। वस्तुतः आतंकवाद एक ऐसा सिद्धान्त है जो भय या त्रास के माध्यम से अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में विश्वास करता है। आज आतंकवाद संगठित उद्योग का रूप धारण कर चुका है। एक जगह से खत्म होता नजर आता है, तो दूसरी जगह यह तेजी से सिर उठाने लगता है। कभी सभ्यताओं के संघर्ष के बहाने तो कभी धर्म की आड़ में रोज तमाम जीवन–लीलाओं का यह लोप कर रहा है। इसका शिकार शिशु से लेकर वृद्धजन तक हैं। आतंक फैलाने वाले लोग अपने आप को राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी या निष्ठावान सैनिक कहलाना पसंद करते हैं।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, May 2022
Impact Factor: 6.252

''इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोसल साइन्सेज'' के अनुसार आतंकवाद वह पद है जिसका प्रयोग विधि अथवा विधि के पीछे सिद्धान्त की व्याख्या के लिए किया जाता है और जिससे एक संगठित समूह या पार्टी अपने स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति मुख्य रूप से व्यवस्थित हिंसा के प्रयोग द्वारा करता है।

आतंकवाद एक प्रकार का माहौल को कहा जाता हैं इसे एक प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि अपने आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति के लिए गैर–सैनिक अर्थात नागरिकों की सुरक्षा को भी निशाना बनाते हैं। गैर–राज्य कारकों द्वारा किए गए राजनीतिक, वैचारिक या धार्मिक हिंसा को भी आतंकवाद की श्रेणी का ही समझा जाता है। अब इसके तहत गैर–कानूनी हिंसा और युद्ध को भी शामिल कर लिया गया है। अगर इसी तरह की गतिविधि आपराधिक संगठन द्वारा चलाने या उसको बढ़ावा देने के लिए करता है तो सामान्यतः उसे आतंकवाद नहीं माना जाता है, यद्यपि इन सभी कार्यों को आतंकवाद का नाम दिया जा सकता है। गैर–इस्लामी संगठनों या व्यक्तित्वों को नजरंदाज करते हुए प्रायः इस्लामी या जिहादी के साथ आतंकवाद की अनुचित तुलना के लिए इसकी आलोचना भी की जाती है। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति आतंक शब्द से हुई है। आतंकवाद ऐसे कार्यों को कहते हैं, जिसे किसी प्रकार का आतंक फैलाने के लिए किया जाता है। ऐसे कार्य करने वालों को आतंकवादी कहते हैं।

भारत में आतंक का रूप रामायण एवं महाभारत काल से ही देखने को मिल रहा है। श्रीराम ने जहां अपने स्वभाव व मर्यादा के दम पर तमाम राक्षसों का खात्मा किया वहीं रावण रूपी आतंक को भी वानरों–रीछों की संगठित सेना द्वारा खत्म कर रामराज्य की स्थापना की। श्रीकृष्ण ने कौरवों की 18 अक्षौहिणी सेना को अपने नेतृत्व कुशल मार्गदर्शन एकता एवं सक्षम कूटनीति के चलते ही परस्त किया रामायण और महाभारत के युद्ध इतिहास का एक नया अध्याय रचते हैं तो सिर्फ इस कारण कि इन्होंने आतातायियों के संगठित आतंक के विरुद्ध जनमानस को न सिर्फ एकत्र किया बल्कि मानवता को यह संदेश भी दिया कि सत्य सदैव विजयी होता है। आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने अंग्रेजी राज रूपी आतंक को खत्म करने के लिए सत्याग्रह एवं अहिंसा का सहारा लिया। उन्होंने प्रतिपादित किया कि कोई भी आतंक एक लम्बे समय तक नहीं रह सकता, बशर्ते उसके खात्मे के लिए किसी प्रायोजित आतंक का सहारा न लिया जाय। महात्मा गांधी मानसिक आतंकवाद को ज्यादा बड़ी समस्या मानते थे न कि भौतिक आतंकवाद को। इसी कारण उन्होंने विचारों को खत्म करने के बजाय उसे बदलने पर जोर दिया।

आंतकवाद दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, जिससे अब तक कोई भी देश अछूता नहीं रहा हैं। फिर चाहे शक्तिशाली अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का गिराना हो या भारतीय संसद में हुआ हमला। हर देश हर प्रांत आज इसकी चपेट में है। आतंकवाद का शिकार आज हर इंसान हैं। फिर चाहे इसे शह देने वाला पाकिस्तान ही क्यों न हो। आखिरकार बेनजीर भुट्टों जैसी शख्सियत जो पूर्व प्रधानमंत्री रहने के साथ–साथ पाकिस्तान में बीते चुनाव की प्रधानमंत्री की प्रमुख दावेदार थी, इसकी शिकार बनी।

भारत आतंकवाद से कई सालों से इस आग में झुलस रहा है। प्रतिवर्ष आतंकवाद के इशारों पर आतंकियों द्वारा भारत में छिपे कुछ गद्दारों से मिलकर अक्सर देश के विभिन्न प्रांतों में हमला करते रहते हैं। खासकर वे हमले ऐसे मौके पर करते हैं जिससे हमारे धर्मनिरपेक्ष तानेबाने को तोड़ा जा सके। फिर चाहे राजस्थान, गुजरात का संकटमोचन मंदिर पर हमला करना हो या अजमेर शरीफ और हैदराबाद की मस्जिद पर बम विस्फोट। दर असल आतंकवाद का उद्देश्य केवल मात्र दो धर्मों बीच बने हुए प्रेम और भाईचारे को समाप्त करना होता है। उनका ना तो मजहब होता है ना ही कोई धर्म। वे इस जद्दोजहद में हर बार हमले करते रहते हैं और माओवाद जैसी समस्या भी भारत में इस कदर बढ़ चुकी है कि ये भीतर ही भीतर देश को खोखला बनाने का काम कर रही है। आज भारत के चालीस फीसदी प्रांत ऐसे है जो पूरी तरह इस उग्रवाद की चपेट में आ चुके है और इनके एक नहीं कई रूप है। बोडो, उल्फा, माओवाद, पिपुल्सवाद ग्रुप जैसे कई संगठन है जो भारत में तेज गति से अपना जाल फैला रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैण्ड, मिजोरम, मणिपुर या असम जहां बोडो और उल्फा संगठन ने राज्य और केन्द्र सरकार की नाक में दम कर रखा है वहीं

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, May 2022
Impact Factor: 6.252

बिहार, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड माओवादियों के निशानें पर है। इन संगठनों में अधिकतर अपने देशवासी है।अब तो इन तमाम संगठनों की फंडिंग भी बाहरी देशों से होने लगा है जो कि एक चिंता का विषय है।

पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरा है। धीरे–धीरे यह दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। हर वर्ष हजारों लोग इसके कारण अपने प्राणों से हाथ धो बैठते है। अनगिनत लोगों का घर–बार उजड़ जाता है। धन–संपत्ति का नाश होता है और मानव जीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है। आतंकवाद के कारण देश और दुनिया में भय का माहौल बना हुआ है। आतंकवाद मानवता और सम्य समाज के लिए एक बड़ा कलंक है।

आतंकवाद एक घिनौना कृत्य है क्योंकि यह आम नागरिकों को निशाना बनाता है। आतंकवादी अपने विरोधियों से सीधे कभी नहीं लड़ते। वह छुप के वार करते हैं। उनका हमला ज्यादातर निहत्थे और मासूमों पर ही होता है। वो ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को मारकर अपनी बात दुनियाँ के सामने रखना चाहते हैं। 1971 में पाकिस्तान जब भारत से युद्ध हार गया और उसके दो टुकड़े हो गए तो वो समझ गया कि भारत से सीधे युद्ध में जीतना संभव नहीं है। अपनी गुप्तचर संस्था आइ.एस.आइ का इस्तेमाल कर उसने भारत से एक अप्रत्यक्ष युद्ध की शुरुआत की। भारत में कई ऐसे संगठन थें जो सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं थें। आई.एस.आई. ने उन्हें भारत के खिलाफ भड़काया, उन्हें धन और हथियार उपलब्ध कराया और यहीं से भारत में बड़े पैमाने पर आतंकवाद की शुरुआत हुई।

पंजाब में अलग खालिस्तान की माँग उठने लगी तो कश्मीर में भारत से अलग होने की माँग जोर पकड़ने लगी। देश के उत्तरपूर्वी राज्यों में कई भारत विरोधी आंदोलन शुरू हो गए। नक्सली आंदोलन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। इसके बाद भारत में आतंकवादी घटनाओं का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक थमा नहीं है। इन सारी आतंकवादी घटनाओं के पीछे जो संगठन थे, वो भारत में पहले से सक्रिय थे किंतु उनके पास धन और हथियार नहीं थे। इसलिए उनका विरोध शांतिपूर्ण हुआ करता था। पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आई.एस.आई के द्वारा धन और हथियार उपलब्ध कराने के बाद इनके विरोध ने हिंसा का रूप ले लिया। यह हमारे सरकार की बहुत बड़ी नाकामी रही कि वह आई.एस.आई को रोकने में सफल नहीं हो सकी। अभी कुछ दिनों पहले काश्मीर के उरी में 4 आतंकवादियों ने सेना के शिविर पर हमला कर दिया था जिसमें हमारे 19 जांबाज सैनिकों की मौत हो गई थी। पूरा देश शोक की लहर में डूब गया।

भारत में आतंकवाद बढ़ने के कई कारण है। इस्लामिक आतंकवाद पिछले कुछ दशकों से भारत तथा पूरे संसार में होने वाली आतंकवादी घटनाओं का मुख्य कारण रहा है। कुछ कट्टर इस्लामी संस्थाओं ने हमारे देश के कई नौजवानों को गुमराह कर आतंकवाद की राह पर धकेल दिया है। उन्हें धर्म के नाम पर भड़काया जाता है। आतंकवाद के कार्य को अल्लाह का काम बताया जाता है। कभी भारत में हुए किसी दंगे का बदला लेने के नाम पर तो कभी भारत को इस्लामिक देश बनाने के नाम पर इन युवकों से बम ब्लास्ट और आम नागरिकों पर सशस्त्र हमला कराया जाता है। 1993 में हुआ बम ब्लास्ट और आम नागरिकों पर सशस्त्र हमला कराया जाता है। 1993 में हुआ बम ब्लास्ट इसका उदाहरण है। कई बार तो पाकिस्तानी नागरिक भी इन हमलों में शामिल रहे हैं। 26 नवम्बर 2011 में मुंबई पर जो हमला हुआ था, उसमें शामिल सारे नागरिक पाकिस्तानी थे। धार्मिक उन्माद के बाद भारत में आतंकवादी घटनाओं का एक बड़ा कारण रहा है। भारत से अलग होकर अलग देश बनाने की माँग काश्मीर में काफी समय से चल रही है। पंजाब में अलग खालिस्तान बनाने की माँग काफी जोरो–शोरों से उठी थी। देश के उत्तरपूर्वी राज्यों में यह माँग को कभी भी व्यापक जन समर्थन नहीं मिला। इसी से हताश होकर कुछ संगठनों ने आतंकवाद का रास्ता चुन लिया। उन्हें पैसा और हथियार तो आइ.एस.आइ से मिल गया। इससे बड़े पैमाने पर कश्मीर, पंजाब, और भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों में आतंकवाद की घटनाएँ हुई पंजाब और उत्तरपूर्व में तो अब काफी शांति है पर कश्मीर इस आतंकवाद की आग में अब भी जल रहा हे।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, May 2022
Impact Factor: 6.252

इनके अलावा गरीबी, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक असमानता ने कई बार आतंकवाद को जन्म दिया है। नक्सली आंदोलन इसका उदाहरण है। हमारी सरकार समाज के हर तबके तक देश के विकास को लाभ नहीं पहुँचा पाई। देश में गरीबी और असमानता बहुत ज्यादा है। ऐसे कई लोग असहाय होकर हथियार उठा लेते हैं। अंग्रेजों ने कई ऐसे कानून बनाएँ थें जिसका भारत एक आदिवासी समुदाय ने कड़ा विरोध किया था। उसके खिलाफ कई आंदोलन भी हुए थें। आजादी मिलने के बाद भी भारत सरकार ने उन कानूनों को बदला नहीं। इससे कई आदिवासी संगठन भी नक्सली आतंकवाद का हिस्सा बन गए। भारत ने आतंकवाद के कारण लाखों नागरिकों के प्राण गवाएँ हैं। अब भारत को चाहिए कि आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएँ। आतंकवाद विरोधी कानूनों को दोबारा बनाने की जरुरत है। हमारे सशस्त्र बालों का आधुनिकीकरण भी जरूरी है ताकि वो आतंकवादियों का मुकाबला कर उन्हें खत्म कर सके। भारत की गुप्तचर संस्थाओं को अधिक सक्रिय होना पड़ेगा। आतंकवादी संस्थाओं को जो पैसा और हथियार मिलता है यदि सरकार उसे रोकने में सफल हो जाए तो भी आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। इस कार्य में हमारी गुप्तचर संस्थाओं का अहम योगदान रहेगा। इसके अलावा भारत की सरकार को चाहिए कि वो देश में धार्मिक कट्टरता फैलने न दे। खाड़ी देशों में फैले इस्लामी आतंकवाद का जूनून धीरे–धीरे भरत में भी पैर पसार रहा है। भारत सरकार को सतर्क होकर ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे ऐसे संगठन भारत में अपना प्रचार न कर पाएँ। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर पर गुप्त आक्रमण कर वहाँ चल रहे 7 आतंक के शिविरों को नष्ट कर दिया है। हमारी सरकार को नियमित रूप से इस तरह के कदम उठाने चाहिए।

हमारी सरकार को देश में जितने भी राजनैतिक और सामाजिक संगठन है, उनसे बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। उनकी जायज माँगों को मान लेना चाहिए। सरकार की उदासीनता लोगों में असंतोष पैदा करती है और उनमें से कई आतंकवाद की तरफ मुड़ जाते हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि देश में एकता बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाएँ जिससे हमारे शत्रु हमारे देश के लोगों को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल न कर पाए।

आतंकवाद : प्रकार, उत्पत्ति और परिभाषा

'आतंकवाद' शब्द की उत्पत्ति फ्राँसीसी क्रांति के दौरान वर्ष 1793–94 के आतंक के शासन से हुई। यूरोप और अन्यत्र भी विशेषकर 1950 के दशक के उत्तरार्द्ध में वामपंथी उग्रवाद उभर कर सामने आया। भारत में नक्सली और माओवादी सहित पश्चिम जर्मनी में रेड आर्मी गुट, जापान का रेड आर्मी गुट, संयुक्त राज्य अमेरिका में विदरमेन और ब्लैक पैन्थर्स, उरुग्वे के तूपामारोस और अन्य कई वाम पंथी उग्रवादी दल विश्व के भिन्न–भिन्न भागों में 1960 के दशक के दौरान उत्पन्न हुए। आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद अधिकांशतः इस्लामी रूढ़िवाद की विचारधारा से प्रेरित है तथा इसकी अग्र पंक्ति में ओसामा बिन लादेन का अल–कायदा और इसके घनिष्ठ सहयोगी अफगानिस्तान में तालिबान हैं। सोवियत–विरोधी नीतियों के कारण तालिबानों की तेज़ वृद्धि संयुक्त राज्य अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की ISI द्वारा दिये गए व्यापक संरक्षण के कारण संभव हुई थी। इससे न केवल अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान और भारत में भी सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हो चुकी हैं।

आतंकवाद के प्रकार

आतंकवादी समूह/समूहों के उद्देश्यों के आधार पर आतंकवादी गतिविधियों के मुख्य प्रकारों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है–

1. मानवजातीय–राष्ट्रवादी आतंकवाद

(Ethno&Nationalist Terrorism)

डेनियल बाइमैन के अनुसार अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये किसी उप–राष्ट्रीय मानवजातीय समूह द्वारा जान बूझकर की गई हिंसा को मानवजातीय आतंकवाद कहा जा सकता है। ऐसी हिंसा प्रायरू या तो पृथक राज्य के सृजन अथवा एक मानवजातीय समूह द्वारा दूसरे समूहों की तुलना में अपने स्तर को बढ़ाने के लिये किया जाता है। श्रीलंका में तमिल राष्ट्रवादी समूह और पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी समूह मानवजातीय–राष्ट्रवादी आतंकवादी गतिविधियों के उदाहरण हैं।

2. धार्मिक आतंकवाद (Religious Terrorism)

वर्तमान में अधिकांशतः आतंकवादी गतिविधियाँ धार्मिक आदेशों और आवश्यकताओं द्वारा अभिप्रेरित होती हैं। हॉफमैन के अनुसार पूर्णतः अथवा अंशतः धार्मिक आदेशों द्वारा प्रेरित आतंकवादी हिंसा को दैवीय कर्त्तव्य अथवा पवित्र कृत्य मानते हैं। अन्य आतंकवादी समूहों की तुलना में धार्मिक आतंकवादी वैधता और औचित्य के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं जो धार्मिक आतंकवाद को प्रकृति में और अधिक विनाशकारी बना देता है।

3. विचारधारोन्मुख आतंकवाद

(Ideology Oriented Terrorism)

हिंसा और आतंकवाद में विचारधारा के उपयोग के आधार पर आतंकवाद को साधारणतया दो वर्गों–वामपंथी और दक्षिणपंथी आतंकवाद में वर्गीकृत किया जाता है।

वामंपथी आतंकवाद– अधिकांशतः वामपंथी विचारधाराओं से प्रेरित होकर शासक वर्ग के विरुद्ध कृषक वर्ग द्वारा की गई हिंसा को वामपंथी आतंकवाद कहा जाता है। वामपंथी विचाराधारा विश्वास करती है कि पूंजीवादी समाज में मौजूदा सभी सामाजिक संबंध और राज्य की प्रकृति शोषणात्मक है और हिंसक साधनों के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन अनिवार्य है। भारत और नेपाल में माओवादी गुट इसके उदाहरण हैं।

दक्षिणपंथी आतंकवाद – दक्षिणपंथी समूह आमतौर पर यथास्थिति ॅ(जंजने–फनव) बनाए रखना चाहते हैं अथवा अतीत की उस पूर्व स्थिति को स्थापित करना चाहते हैं जिसमें वे संरक्षित महसूस करते हैं। कभी–कभी दक्षिणपंथी विचारधाराओं का समर्थन करने वाले समूह नृजातीय/नस्लभेदी चरित्र भी अपना लेते हैं। वे सरकार को किसी क्षेत्र को अधिग्रहीत करने अथवा पड़ोसी देश में ''उत्पीड़ित'' अल्पसंख्यकों (अर्थात) के अधिकारों का संरक्षण करने के लिये हस्तक्षेप करने हेतु बाध्य कर सकते हैं, जैसे– जर्मनी में नाजी पार्टी। प्रवासी समुदायों के विरुद्ध हिंसा भी आतकवादी हिंसा की इस श्रेणी के अधीन आती है, यहाँ उल्लेखनीय है कि दक्षिणपंथी हिंसा के लिये धर्म एक समर्थक भूमिका निभा सकता है। इनके उदाहरण हैंरू जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फासीवाद, संयुक्त राज्य अमेरिका में कू क्लक्स क्लान (केकेके) के रूप में श्वेत आधिपत्य आदि।

4. राज्य–प्रायोजित आतंकवाद

(State&sponsored Terrorism)

राज्य–प्रायोजित आतंकवाद अथवा छद्म युद्ध भी सैन्य युद्ध के इतिहास जितना ही पुराना है। बड़े पैमाने पर राज्य–प्रायोजित आतंकवाद 1960 एवं 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरा और आज धार्मिक आतंकवाद के साथ राज्य–प्रायोजित आतंकवाद ने विश्व भर में आतंकवादी गतिविधियों की प्रकृति काफी परिवर्तित कर दी है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, May 2022
Impact Factor: 6.252

राज्य–प्रोयाजित आतंकवाद की एक विशेषता यह है इसे प्रचार माध्यमों का ध्यान आकर्षित करने अथवा संभावित व्यक्तियों को लक्षित करने की बजाए कतिपय स्पष्टतया परिभाषित विदेशी नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रारंभ किया जाता है। इस कारण यह बहुत कम बाधाओं के अधीन कार्य करता है और अत्यधिक नुकसान पहुँचाता है। संयुक्त राज्य के अधीन पश्चिमी शक्तियों ने संपूर्ण शीत युद्ध में सभी राष्ट्रवादियों और साम्यवाद–विरोधियों का समर्थन किया। सोवियत संघ भी इस प्रयोग में पीछे नहीं रहा। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही पाकिस्तान से इस समस्या का सामना कर रहा है।

5. स्वापक–आतंकवाद

(Narco&terrorism)

स्वापक–आतंकवाद ऐसी संकल्पना है जिसे 'आतंकवाद के प्रकार' और 'आतंकवाद के साधन' दोनों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कोलंबिया और पेरू में किया गया था। प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से संबद्ध आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त किया गया यह शब्द अब विश्व भर और सबसे अधिक मध्य और दक्षिण–पूर्व एशिया में आतंकवादी गुटों और गतिविधियों से संबंद्ध हो गया है।

गैर–परंपरागत साधन

आतंकवादियों द्वारा जनसंहार के हथियार के रूप में न्यूक्लियर, रासायनिक अथवा जैविक हथियार प्राप्त करना साथ ही साइबर आतंकवाद और पर्यावरणीय आतंकवाद जैसे गंभीर खतरे भी हैं।

जनसंहार के हथियार

जनसंहार के हथियार वे होते हैं, जो संपूर्ण विनाश तथा लोगों, अवसंरचनाओं अथवा अन्य संसाधनों को बड़े पैमाने पर नष्ट करने की क्षमता रखते हैं के लिये प्रयोग किये जाने योग्य होते हैं। उदाहरण– न्यूक्लिर, रासायनिक और जैविक हथियार आदि। रासायनिक हथियाररू वर्ष 1993 में हस्ताक्षरित रासायनिक हथियार समझौते के अनुसार, उत्पत्ति पर ध्यान दिये बिना कोई भी विषैला रसायन रासायनिक हथियार माना जाता है अगर इसका प्रयोग निषिद्ध प्रयोजनों के लिये किया जाता है। उदाहरणरू रिसीव, बोटुलिनम, टॉक्सिन, तंत्रिका एजेंट, लेवीसाइट, सेरिन आदि जैसे टॉक्सिक रसायन इसके उदाहरण हैं। न्यूक्लियर हथियाररू न्यूक्लियर हथियारों के निर्माण के लिये सरलता से यूरेनियम उपलब्ध न होना इसके संवर्द्धन की जटिल प्रक्रिया तथा अत्यधिक लागत आतंकवादी संगठनों और गैर–राज्य अभिकर्त्ताओं के समक्ष मुख्य समस्या है। द्वारा आतंकवादी हमलों में न्यूक्लियर हथियारों के प्रयोग का कोई लेखा–जोखा नहीं है। लेकिन इस बात के संकेत मिले हैं कि 1990 के उतरार्द्ध से अल–कायदा इन्हें प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है। जैविक हथियाररू जैव–आतंकवाद अपेक्षतया आतंकवाद का एक नया रूप है, जो जैव–प्रौद्योगिकी की उन्नति के चलते इसकी आतंकवादी गुटों तक पहुँच के परिणामस्वरूप उभरा है। जैव–आतंकवाद को 'मानव, पशुओं अथवा पौधों में बीमारी अथवा मृत्यु कराने प्रयुक्त वायरसों, जीवाणुओं अथवा अन्य कीटाणु (एजेंटों) का जान–बूझकर निर्गमन' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्हें वायु, जल अथवा खाद्य पदार्थों के माध्यम से फैलाया जाता है।

साइबर–आतंकवाद (Cyber&terrorism)

साइबर–आतंकवाद, आतंकवाद और साइबरस्पेस का संयोजन है। इसे मुख्यतरू राजनीतिक अथवा सामाजिक हितों की पूर्ति के लिये अथवा सरकार या लोगों को भयभीत अथवा पीड़ित करने के आशय से कंप्यूटरों, नेटवर्क और उसमें संग्रहीत सूचना के विरुद्ध

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, May 2022
Impact Factor: 6.252

गैर–कानूनी आक्रमण और आक्रमण की धमकी के अर्थ में समझा जा सकता है। साइबर–आतंकवाद सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में उन्नति के कारण विकसित आतंकवादी कार्यनीति का सर्वाधिक उन्नत साधन है, जो आतंकवादियों को न्यूनतम शारीरिक जोखिम के अपना कार्य करने में समर्थ बनाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका सेना प्रशिक्षक और शिक्षा कमान, साइबर आक्रमणों के परिणाम की चार श्रेणियों का वर्णन करता है : अखंडता की हानिरू आँकड़े और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में किये गए अनाधिकृत परिवर्तनों का परिणाम अयथार्थता, धोखाधड़ी अथवा गलत निर्णय हो सकता है जो प्रणाली की अखंडता को संदेह के दायरे में लाता है। उपलब्धता की हानिरू महत्त्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर आक्रमण उसे प्रयोक्ताओं के लिये अनुपलब्ध बना देता है। गोपनीयता की हानिरू सूचना के अनधिकृत प्रकटन का परिणाम जनता के विश्वास की हानि से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुँचने तक होता है। भौतिक विनाशरू सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के प्रयोग द्वारा वास्तविक रूप से भौतिक नुकसान अथवा इसमें विनाश करने का सामर्थ्य।

जम्मू–कश्मीर

जम्मू और कश्मीर में विद्रोह की जड़ों का पता 1940 के दशक के उत्तरार्द्ध से लगाया जा सकता है जब पाकिस्तान ने जम्मू–कश्मीर पर कब्ज़ा करने की दृष्टि से भारत पर आक्रमण किया। वर्ष 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के बाद अलगाववादी गतिविधियों में ठहराव आया था। तथापि, अस्सी के दशक में सीमा–पार से बड़े पैमाने पर घुसपैठ और विद्रोही कार्यकलापों में अचानक वृद्धि देखी गई। निर्दोष व्यक्तियों को लक्ष्य बनाया गया और उन्हें राज्य से भागने के लिये बाध्य किया गया। 1990 के दशक में राज्य में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती हुई। इस्लामी रूढ़िवाद के उदय और अल–कायदा के प्रादुर्भाव ने जम्मू और कश्मीर में विद्रोह के कार्यकलापों में एक और आयाम जोड़ा। भारत के दृष्टिकोण से इस्लामी रूढ़िवाद का वास्तविक खतरा अल–कायदा और तालिबान से उत्पन्न नहीं होता बल्कि उनके क्षेत्रीय संबद्ध गुटों से होता है।

लश्कर–ए–तैयबा नामक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन न केवल भारत में बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्राँस, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया सहित लगभग 18 देशों में इकाईयाँ स्थापित कर चुका है। अल–कायदा के अन्य संबद्ध गुट, जो भारत में शांति और सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा बने हुए हैं– जैश–ए–मोहम्मद, एचयूएम, एचयूजीआई और अल–बदर हैं। जैश–ए–मोहम्मद का घोषित उद्देश्य कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना है। जैश–ए–मोहम्मद के सदस्यों को जम्मू–कश्मीर में कई आत्मघाती आक्रमणों में सम्मिलित माना गया है। भारत सरकार राजनीतिक, सुरक्षा, विकासात्मक और प्रशासनिक मोर्चो पर चिंता को ध्यान में रखते हुए संपूर्णतावादी दृष्टिकोण सहित एक बहुआयामी कार्यनीति के माध्यम से अशांत और गड़बड़ी वाले राज्यों की समस्याएँ निपटाने का प्रयास करती रही है। राजनीतिक पहलू पर राजनीतिक वार्तालापों को प्रमुखता दी गई है। इसके अलावा निम्नलिखित उपाय उल्लेखनीय हैं–

जम्मू–कश्मीर सहित पाकिस्तान के साथ भी विश्वास निर्माण हेतु व्यापक उपायों पर बल देना। जम्मू–कश्मीर तथा पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर (पीओके) के निवासियों के बीच को सुविधाजनक बनाना। बस सेवा सुनिश्चित कर सीमा के दोनों ओर के बिछड़े परिवारों को पुनरू मिलाने के लिये की गई पहलें। अलगाववादियों सहित विभिन्न प्रकार के मतों का प्रतिनिधित्व करने वाले गुटों के साथ आवधिक वार्तालाप की पहल करना। आंतरिक सुरक्षा संबद्ध उपायों में निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है–राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और राज्य में तैनात सेना, केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रतिनिधियों तथा राज्य के नागरिक एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए एकीकृत कमान कार्यक्षेत्र (वर्ष 1997 में प्रारंभ) को पुनर्जीवित करना। जम्मू–कश्मीर में कार्यरत संसूचित आतंकवादी संगठनों पर गैर–कानूनी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 2004 के अधीन पाबंदी लगाना। ग्राम रक्षा समितियों की स्थापना और सावधानीपूर्वक जाँच के बाद चयनित क्षेत्रों में विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति। राज्य के सुरक्षा संबद्ध व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करना। प्रशासनिक मोर्चे पर निम्नलिखित उपाय उल्लेख करने योग्य हैं–उग्रवाद से पीड़ितों के लिये

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, May 2022
Impact Factor: 6.252

राहत संबंधी उपाय। कश्मीरी प्रवासियों को वापसी के लिये प्रोत्साहित करना और इस कार्य सुविधाजनक बनाना। कश्मीर घाटी में पदस्थापित केंद्र सरकार के कर्मचारियों को विशेष सुविधाएँ और रियायतें प्रदान करना। संघ सरकार और राज्य सरकार तथा विशेषकर सुरक्षा बलों के प्रयासों ने उग्रवादियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहायता की है। आम चुनाव तथा साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव का सफल संचालन भारतीय प्रजातंत्र में लोगों के विश्वास का सकारात्मक संकेतक है। दूसरा सकारात्मक विकास घाटी में पर्यटकों का बढ़ता हुआ आगमन है।

विचारधारा–उन्मुख आतंकवाद–वामपंथी उग्रवाद

वामपंथी उग्रवाद अपनी विचारधारा के अनुसरण के कारण हिंसा का प्रयोग करने के लिये जाना जाता है। भारत में इस आंदोलन की शुरुआत पश्चिम बंगाल में उग्रवादियों के एक गुट द्वारा वर्ष 1967 में की गई थी। इस क्षेत्र के किसानों के अतिरिक्त, चाय बागान में कार्यरत श्रमिक बड़ी संख्या में इस उग्रवादी गुट के अनुयायी थे। इस बात से आश्वस्त होकर कि अब जनक्रांति की दशा भारत में परिपक्व है, इस गुट ने अपनी तथाकथित कृषक क्रांति पश्चिम बंगाल में दिनांक 3 मार्च, 1967 से प्रारंभ की। तत्पश्चात इन उग्रवादी गुटों द्वारा सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी, खोरीबाड़ी और फांसीदेवा पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में खाली पड़ी कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया गया। नक्सलबाड़ी क्षेत्र में वामपंथी उग्रवादी आंदोलन के पहले चरण को बिना किसी अधिक रक्तपात के अल्पावधि के भीतर ही प्रभावी रूप से नियंत्रित कर दिया गया था।

वर्ष 2004 से माओवादी आंदोलन के रूप में ज्ञात इस आंदोलन की कुछ गतिविधियाँ निम्नानुसार है– मई 1968रू भारत के विभिन्न भागों में उग्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिये अखिल भारतीय साम्यवादी क्रांतिकारी समन्वय समिति का गठन। 22 अप्रैल 1969रू भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) के रूप में ज्ञात एक नई मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टी का गठन 'वर्ग शत्रुओं के विनाश' के नाम पर ओडिशा, मध्यप्रदेश, पंजाब के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तर प्रदेश में ब्व्–डस् द्वारा विभिन्न राज्यों के भागों में हिंसा की खुलेआम कार्रवाईयाँ। जब उग्रवादी गुट के नेताओं द्वारा वर्ष 1970–71 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान के समर्थन की बात की गई तो इनके प्रमुख नेताओं में से चारू मजूमदार को अवज्ञा के कारण 16 जुलाई, 1972 को कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया गया। 1980 के दशक के पूर्वार्द्ध के दौरान भारत के विभिन्न भागों में नक्सलियों के कई छोटे गुट पुनरू उभरने लगे। आंध्र प्रदेश के नक्सली ब्व्–डस् (पीपुल वार ग्रुप/ जन युद्ध समूह– च्ळ) के रूप में पुनरू संगठित हुए। इसी प्रकार बिहार के नक्सलियों ने पुनरू माओवादी साम्यवादी केंद्र (MCC) के रूप में अपना नया नामकरण किया।

आतंकवाद का सामना करने की कार्यनीति

भारत में आतंकवाद से लड़ने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यनीति के समग्र परिप्रेक्ष्य में एक कार्यनीति, तैयार करने की आवश्यकता है। आतंकवाद के जोखिम से निपटने के लिये एक बहु–आयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ, देश में प्रत्येक नागरिक के जान और माल तथा साथ ही राष्ट्र के संसाधनों की सुरक्षा है। राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यनीति का उद्देश्य एक सुरक्षा वातावरण का सृजन करना है, जो राष्ट्र के लिये सभी व्यक्तियों को अपनी पूर्णतम क्षमता विकसित करने के अवसर प्रदान करने में समर्थ बनाए। राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यनीति पर अधिकांश चर्चाएँ इस बात पर आधारित रही हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सभी के जान–माल का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए प्राप्त की जा सकती है। यहाँ स्पष्टतरू समझ लेना आवश्यक है कि सामाजिक–आर्थिक विकास और एक सुरक्षित वातावरण प्रदान कराने की प्रक्रिया को साथ–साथ संचालित करना होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते है। कोई खतरा जो इस प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा माना जाना चाहिये। ऐसे खतरें युद्ध, आतंकवाद,

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, May 2022
Impact Factor: 6.252

संगठित अपराध, ऊर्जा की कमी, जल और भोजन की कमी, आंतरिक विवाद, प्राकृतिक अथवा मानव–निर्मित आपदाओं आदि से उत्पन्न हो सकते हैं।

विकास और उग्रवाद के बीच संबंध

विकास और आंतरिक सुरक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों महत्त्वपूर्ण रूप से एक–दूसरे पर निर्भर है। प्रायरू विकास की कमी और किसी के जीवन स्तर को सुधारने की किसी संभावना में कमी उग्रवादी विचारधाराओं को विकसित होने के लिये उर्वर आधार प्रदान करती है। उग्रवादी गुटों में भर्ती किये जाने वालों का बहुत बड़ा भाग वंचित अथवा सीमांतिक पृष्ठभूमि वाले अथवा ऐसे क्षेत्रों, जो विकास की मुख्यधारा से अप्रभावित रहता है, से आता है। विकास प्रक्रिया की असमानता एक चिंताजनक तथ्य है। इन विभाजनों और विसंगतियों से असंतोष, बड़े पैमाने पर अप्रवासन और मनमुटाव उत्पन्न होते हैं। कई मामलों में आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्याएँ असमान विकास से उत्पन्न होती हैं। यदि हमें उग्रवादी विचारधाराओं और उग्रवादी तत्त्वों से संघर्ष करने में कोई दीर्घावधिक प्रगति करनी हैं तो इन मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में सामाजिक–आर्थिक विकास एक प्राथमिकता है ताकि समाज के असुरक्षित वर्ग आतंकवादियों के धन और समानता के प्रलोभन का शिकार नहीं हो जाएं तथा प्रशासन, विशेषकर सेवा सुपुर्दगी कार्यतंत्र को लोगों की सही एवं दीर्घकालीन शिकायतों के प्रति उत्तरदायी होना आवश्यक है। इसे सुनिश्चित करने के लिये, कानून प्रवर्तन एजेंसियों का उपयुक्त कानूनी ढाँचे, पर्याप्त प्रशिक्षण अवसंरचना, उपकरण और आसूचना से समर्थन किया जाना चाहिये। जिसमें विभिन्न हितधारकों– सरकार, राजनीतिक पार्टियों, सुरक्षा एजेंसियों, नागरिक समाज और प्रचार माध्यम को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। ऐसी कार्यनीति के आवश्यक तत्वों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है– राजनीतिक सर्वसम्मति। अच्छा अधिशासन और सामाजिक–आर्थिक विकास। कानून के शासन प्रति सम्मान। आतंकवादियों की विनाशक गतिविधियों का प्रतिरोध करना। उपयुक्त कानूनी ढाँचा प्रदान करना। क्षमता निर्माण। कानूनी ढाँचा भारत में आतंकवाद से निपटने के लिये कई अधिनियम थे जैसे–आतंकवादी और विघटनकारी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (वर्ष 1995 में व्यपगत) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (वर्ष 2004 में निरसित) गैर–कानूनी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (2004 में संशोधित)

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 संघ सरकार अथवा राज्य सरकारों को भारत की सुरक्षा हेतु खतरा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम सलाहकार बोर्डों का भी गठन करता है, जिससे इस प्रकार के अधिनियम से हवालात में रखे जाने को अनुमोदित किया जा सके। आतंकवादी और विघटनकारी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 और 1987 देश के कुछ भागों में आतकंवादी कार्यकलापों की वृद्धि होने की पृष्ठभूमि में मई, 1985 में आतंकवादी और विघटनकारी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 अधिनियमित किया गया था। उस समय यह आशा की गई थी कि दो वर्षों की अवधि के भीतर इस संकट को नियंत्रित कर लिया जाएगा। तथापि, बाद में यह महसूस किया गया कि कई कारकों के कारण प्रारंभ की छिटपुट घटनाएँ एक निरंतर किस्म के संकट बन गए थे। इसलिये न केवल उक्त कानून को बनाए रखना बल्कि इसे और सुदृढ़ करना भी आवश्यक हो गया। इसलिये सरकार ने आतंकवादी और विघटनकारी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (टाडा) अधिनियमित किया जिसने उस कार्यतंत्र को सुदृढ़ किया, जो 1985 के टाडा द्वारा निर्मित किया गया था। टाडा अधिनियम 1987 की वैधता वर्ष 1989, 1991 और 1993 में बढ़ाई गई थी। लेकिन इसके दुरुपयोग के बारे में कई शिकायतें मिलने के बाद इसे वर्ष 1995 में व्यपगत करने की अनुमति दी गई। भारत में वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या आईसी–814 का कांधार में अपहरण,

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, May 2022
Impact Factor: 6.252

दिसंबर, 2001 को संसद पर हमले सहित कई आतंकवादी घटनाएँ हुई। इसके फलस्वरूप आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 पारित किया गया।

आतंकवाद का निवारण अधिनियम, 2002

आतंकवाद का निवारण अधिनियम, 2002 (पोटा) की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थी–'आतंकवादी कार्य' की परिभाषा (Definition of Terrorist Act)।

गिरफ्तार करने के उपबंध (Arrest Provision)।

आतंकवाद की आय की ज़ब्ती (Seizure & For feiture of proceeds of Terrorism)।

संचार का अवरोधन (Interception of Terrorism)।

आग्नेयास्त्रों का अनधिकृत कब्जा रखना (Unauthorised Possession of Fire Arms)।

जाँचकर्त्ता अधिकारियों को वर्द्धित शक्तियाँ (Enhanced Power to Investigating Officers)।

पुलिस अभिरक्षा की वर्द्धित अवधि (Increased Period of Police Custody)।

विशेष न्यायालयों का गठन (Censitution of Special Courts)।

आतंकवादी संगठनों से निपटने पर अध्याय (Chapter on dealing with Terrorist Organizations)।

समीक्षा समिति का गठन (Constitution of Review Committee)।

'पोटा' के प्रावधानों का कुछ राज्य सरकारों द्वारा दुरुपयोग करने तथा अपने अभिप्रेत प्रयोजन को पूरा करने में विफल रहने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इसको निरसित कर दिया। पोटा के निरसन के बाद आतंकवाद से निपटने के लिये कुछ उपबंध गैर–कानूनी कार्यकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2004 द्वारा यथा संशोधित गैर–कानूनी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में सम्मिलित किये गए।

गैर–कानूनी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967

यह कानून व्यक्तियों और संगठनों के कतिपय गैर–कानूनी कार्यकलापों और उससे संबंधित मामलों के अधिक प्रभावी निवारण की व्यवस्था करने के लिये अधिनियमित किया गया था। इसने किसी भी संगठन को 'गैर–कानूनी' घोषित करने के लिये उपयुक्त प्राधिकारियों को अधिकार दिया अगर वह गैर–कानूनी कार्यकलाप कर रहे हैं। पोटा के समान यह भी 'आतंकवादी कार्य'की परिभाषा देता है और अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन के रूप में 'आतंकवादी संगठन' अथवा इस प्रकार सूचीबद्ध संगठन के समान नाम के अधीन कार्यरत संगठन की भी परिभाषा देता है। यह आतंकवाद संबद्ध अपराधों के लिये सख्त सजा प्रदान करने के अतिरिक्त आतंकवाद की आय की जब्ती का कार्यतंत्र प्रदान करता है। यह विशेष न्यायालयों अथवा जाँच करने की वर्द्धित शक्तियों और पुलिस अधिकारियों के समक्ष किये गए स्वीकरण से संबंधित उपबंधों की व्यवस्था नहीं करता।

व्यापक आतंकवाद–रोधी विधान की आवश्यकता

भारतीय विधि आयोग ने आतंकवाद का निवारण विधेयक, 2000 पर अपनी 173वीं रिपोर्ट में आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिये एक पृथक विधान की सिफारिश की थी। इस कानून में आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा, ऐसे कार्यों के लिये कठोर सजा, कतिपय अनधिकृत शस्त्र रखने, आतंकवाद की आय प्रदर्शित करने वाली संपत्ति की ज़ब्ती और कुर्की से संबंधित जाँचकर्त्ता अधिकारियों

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, May 2022
Impact Factor: 6.252

को विशेष शक्तियाँ, विशेष न्यायालयों के गठन, गवाहों के संरक्षण, पुलिस अधिकारियों के समक्ष किये गए स्वीकरण पर विचार किए जाने, वर्द्धित पुलिस अभिरक्षा, समीक्षा समितियों के गठन, सद्भावना से की गई कार्रवाई के संरक्षण आदि जैसे उपबंध शामिल थे। आयोग का विचार है कि आतंकवाद पर एक अध्याय को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 का भाग बनाया जाना चाहिये। गैर–कानूनी कार्यकलाप निवारण अधिनियम प्राथमिक रूप से व्यक्तियों तथा संघों के कतिपय गैर–कानूनी कार्यकलापों और संबंधित मामलों को प्रभावी रूप से रोकने से संबंधित है जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम उन कार्यकलापों, जो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अखंडता के लिये हानिकारक हैं, से संबंधित हैं और इसमें हवालात में निवारक रूप से रखने के उपबंध भी होते हैं, जिन्हें सामान्य कानूनों में स्थान नहीं प्राप्त होता है। आतंकवाद मात्र एक गैर–कानूनी कार्यकलाप की अपेक्षा बहुत अधिक अनिष्ट–सूचक है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिये गंभीर खतरा है। इसलिये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आतंकवाद से निपटने के लिये उपबंध सम्मिलित करने हेतु अधिक संगत है। आतंकवाद के सभी पहलुओं से निपटने के लिये एक व्यापक और प्रभावी कानूनी ढाँचा अधिनियमित करना आवश्यक है। कानून में उसके दुरुपयोग को रोकने के लिये उन्हें पर्याप्त सुरक्षोपाय होने चाहिये। आतंकवाद से निपटने के लिये कानूनी उपबंधों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में एक पृथक अध्याय में सम्मिलित किया जा सकता है।

आयोग ने अवलोकन किया गया कि कई बार आतंकवादी गुट सुरक्षा बलों या प्रवर्त्तन एजेंसियों के कार्मिकों को निरुत्साहित करने अथवा उनके द्वारा की गई किसी सख्त कार्रवाई का बदला लेने के लिये उन्हें लक्ष्य बनाते हैं। इन कार्यों के पीछे मूल प्रयोजन आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करने से अन्य कार्मिकों को आतंकित करना है। इसलिये आयोग का मानना है कि बदला लेने अथवा संगठन में अन्य को प्रभावित करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जन प्रतिनिधियों तथा जन कार्यकर्त्ताओं की हत्या को भी आतंकवादी कार्य के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये। इसके अलावा आतंकवाद–प्रतिरोधी कोई भी कार्यनीति तभी सफल हो सकती है अगर आतंकवादी कार्य की परिभाषा में आतंकवाद वित्तपोषण को शामिल किया जाये। आयोग का विचार है कि आतंकवादी कार्यकलापों के लिये निधियाँ जुटाने अथवा निधियाँ प्रदान करने सहित समर्थन देने को आतंकवादी कार्य जितना ही गंभीर अपराध मान कर इस प्रकार की गतिविधियों हेतु कठोर सजा का प्रावधान किया जाए।

उन आपराधिक कार्यों, जिन्हें प्रकृति में आतंकवादी माना जा सकता है, को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना आवश्यक है। इस परिभाषा की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होना चाहिये–जीवन, संपत्ति तथा सैन्य महत्त्व वाली संस्थानों/प्रतिष्ठानों के साथ महत्त्वपूर्ण अवसंरचना को क्षति पहुँचाने वाले अथवा क्षति पहुँचाने में सक्षम आग्नेयास्त्रों, विस्फोटकों या अन्य किसी घातक पदार्थ का प्रयोग करना। जन कार्यकर्त्ताओं की हत्या या हत्या का प्रयास करना जिसका आशय भारत की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा पहुंचाना अथवा जनता के कार्यकर्त्ताओं पर रोब जमाने या लोगों अथवा लोगों के वर्ग को आतंकित करना हो। सरकार को किसी विशेष तरीके से कार्य करने या न करने के लिये बाध्य करने हेतु किसी व्यक्ति को बंधक बनाना या मारने या घायल करने की धमकी देना। उपर्युक्त कार्यकलापों के लिये वित्त सहित कोई सामग्री, सहायता या सुविधा प्रदान कराना। आतंकवादी संगठनों के सदस्यों अथवा समर्थकों द्वारा ऐसे कार्य करना या ऐसे शस्त्र आदि रखना जिनसे किसी व्यक्ति को जान का खतरा अथवा चोट पहुँचती हो या किसी संपत्ति की क्षति होती हो।

नागरिक समाज और गैर–सरकारी संगठन उदाहरणार्थ स्थानीय संस्कृति, धार्मिक प्रथाओं और कतिपय समुदायों की परंपराओं की विविधता की जागरूकता फैलाने तथा समुदाय के तनावों को दूर करने और उनके घावों को भरने के लिये बाह्य कार्यकलाप विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सहयोग के लक्षित कार्यक्रम विकसित करने के लिये कानून प्रवर्त्तन एजेंसियों के साथ भागीदारी कर सकते हैं।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, May 2022
Impact Factor: 6.252

प्रचार माध्यम

प्रचार माध्यम समाचारपत्रों, प्रकाशनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट सहित जन सूचना एवं संचार के सभी माध्यमों को प्रदर्शित करने के लिये प्रयुक्त एक व्यापक शब्द है। प्रचार माध्यमों ने जन जीवन में सदैव मुख्य भूमिका निभाई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शुभारंभ और प्रिंट मीडिया के आधुनिकीकरण से प्रचार माध्यम का सीमा क्षेत्र, प्रभाव एवं प्रतिक्रिया अवधि काफी सुधर गई हैं। ऐसे भी उदाहरण रहे हैं जहाँ प्रचार माध्यम की रिपोर्टों ने विवादों को भड़काया है; यद्यपि कई अवसरों पर वे हिंसा फैलने से रोकने में सहायक भी रहे हैं। इस प्रकार, प्रचार माध्यम के अभिप्राय पर ध्यान दिये बिना समाचार का कवरेज आतंकवादियों की प्रत्याशाएँ पूरी कर सकता है। आतंकवादियों में भी प्रचार की लालसा होती है और प्रचार माध्यम को आतंकवादियों को उनके कार्य में अनजाने ही सहायता नहीं करनी चाहिये। यह आवश्यक है कि सरकार को आतंकवाद को परास्त करने की अपनी कार्यनीति का भाग के रूप में जन प्रचार माध्यम की शक्ति का उपयोग करने के लिये कार्य करना चाहिये। निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित एक सकारात्मक प्रचार माध्यम नीति होना आवश्यक है–शासन में पारदर्शिता। सूचना और स्रोतों तक सरल पहुँच।

प्रशासनिक, कानूनी और न्यायिक उल्लंघनों और ज्यादतियाँ जो आतंकवाद की स्थिति में नागरिक तथा प्रजातांत्रिक अधिकारों को खतरे में डालती है, की जाँच करने और रोकने के लिये सतर्कता के साधन के रूप में प्रचार माध्यम की भूमिका को आगे बढ़ाना। संकट विशेषकर आतंकवाद की संसूचित, उचित और संतुलित कवरेज करने की अपनी भूमिका पूरी करने के लिये प्रचार माध्यम को संलग्न करना, समर्थ बनाना, प्रोत्साहित करना एवं सहायता करना। प्रचार माध्यम की नीति में आत्मसंयम का सिद्धांत शामिल करना चाहिये। प्रकाशकों, संपादकों और रिपोर्टरों को प्रचार माध्यम के कवरेज के उन तत्वों से बचने एवं अपवर्जित करने के लिये सुग्राही बनाना आवश्यक है, जो अनजाने ही आतंकवाद की कार्यसूची को बढ़ावा देते हैं। प्रचार माध्यम के सभी रूपों को यह सुनिश्चित करने के लिये कि आतंकवादी हमले से उत्पन्न प्रचार अपने घृणित आशय से आतंकवादी की सहायता नहीं करे तथा एक आत्म नियंत्रण आचार संहिता तैयार करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष :

विकास, स्थायित्व, सुशासन और कानून का शासन एक दूसरे से सहसंबद्ध हैं और अशांति को उत्पन्न कोई भी खतरा देश के सतत विकास के उद्देश्य में बाधा बनता है। आतंकवाद न केवल राजनीतिक और सामाजिक वातावरण को नष्ट करता है बल्कि देश के आर्थिक स्थायित्व को खतरा भी पहुँचाता है, प्रजातंत्र को दुर्बल बनाता है और यहाँ तक कि सामान्य नागरिकों को जीने के उनके अधिकार सहित बुनियादी अधिकारों से वंचित करता है। आतंकवादी किसी धर्म अथवा संप्रदाय या समुदाय के नहीं होते। आतंकवाद कुछ उग्र लोगों, जो अपने घृणित लक्ष्यों की प्राप्ति में निर्दोष नागरिकों की लक्षित हत्या का आश्रय लेते हैं, द्वारा प्रजातंत्र और सभ्य समाज पर हमला है। आज आतंकवाद ने आधुनिक संचार प्रणालियों, संगठित अपराध, मादक द्रव्य के अवैध व्यापार, जाली मुद्रा और वैश्विक स्तर पर इनके प्रयोग सहित विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थायित्व को खतरा पहुँचाते हुए नया तथा अधिक खतरनाक आयाम प्राप्त कर लिया है। इसीलिये आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य है। भारत आतंकवाद के सबसे अधिक पीड़ितों में से एक रहा है परंतु हमारे समाज ने सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक तालमेल बनाए रखते हुए बारंबार एवं बेलगाम आतंकवादी हमलों के समय अभूतपूर्व जीवटता तथा समुत्थान शक्ति प्रदर्शित की है। आतंकवाद–रोधी कार्यनीति को यह मानना चाहिये कि आतंकवाद कार्य न केवल निर्दोषों को बर्बाद करता है परंतु हमारे समाज को विभाजित करता है, लोगों के बीच मतभेद उत्पन्न करता है और समाज के ताने–बाने को अत्यधिक क्षति भी पहुँचाता है। आतंकवादियों और राष्ट्र–विरोधी कार्यकलापों के विरुद्ध सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सतत् और सख्त कार्रवाई करने के अतिरिक्त नागरिक समाज भी आतंकवादी कार्यकलापों को रोकने और आतंकवाद की विचारधारा का प्रतिरोध करने में मुख्य भूमिका निभा सकता है। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने में नागरिकों और

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, May 2022
Impact Factor: 6.252

प्रचार माध्यम द्वारा सहयोग भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। रिपोर्ट का बल इस बात पर है कि सुशासन, सम्मिलित विकास, सतर्क प्रचार माध्यम और एक जागरूक नागरिकता के साथ संयोजित कानूनी एवं प्रशासनिक उपायों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आतंकवाद किसी भी रूप को परास्त कर सकता है।

शोध संदर्भ ग्रन्थ :

- विश्व में आतंकबाद – बीरेन्द्र कुमार गौड़
- द ईस्टर राइजिंग –एलन वार्ड
- द ग्रेट टेररः ए रिअसेसमेंट – रावर्ट कोक्वेस्ट
- आतंकबाद और हिंसक अपराध – अमन नेगी
- उग्रवाद एवं आतंकबाद – हरकिरत कौर
- द टेरोरिज्म अहेड – पाल जे. स्मिथ
- क्रास बार्डर टेरोरिज्म – विग्रेडियर रिटायर्ट एस. पी. लोहिया
- रोड ब्लाक टू पीस इनोसिएटिव – – विग्रेडियर रिटायर्ट एस. पी. लोहिया
- बूस हाफमैन : इनसाइड टेरोरिज्म, कोलम्बिया विश्वविद्यालय प्रेस 2006
- जी फ्रेंडमैन : द फ्यूचर आफ साइवर क्राइम, एन. वाई. रैण्डम हाउस 1996
- द मिथ ऑफ इस्माइलीज : दफ्तरी फरहाद
- द स्टेट एंड रेवोलूशन इन फिनलैण्ड – अलापूरो आर
- स्टालिन इन पावर – टकर राबर्ट सी
- इडिंया टुडे
- प्रतियोगिता दर्पण
- समाचार पत्र – नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, द हिन्दू etc.

समाचार पत्र–

- नई दुनिया, इन्दौर
- दि टाइम्स आफ इण्डिया, नई दिल्ली
- दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
- नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली
- दैनिक नवभारत, भोपाल
- दैनिक जागरण, रीवा, म0प्र0
- नवभारत, जबलपुर रीवा, म0प्र0
- जनसत्ता, नई दिल्ली

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, May 2022
Impact Factor: 6.252

- टुडे न्यूज, सतना म0प्र0
- नवभारत, सतना म0प्र0
- दैनिक भास्कर, जबलपुर म0प्र0